न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 71/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. धन्ना पिता घीसा जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. खेमा पिता घीसा जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नेनुराम पिता लालु जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रूपलाल पिता लालु जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगन्नाथ पिता लालु जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुवालाल पिता किशोर जाति कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रताप पिता पन्ना लाल जाति कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरू पिता सोहन लाल जाति कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. अम्बालाल पिता रामलाल जाति कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. डालु पिता जीतु जाति कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. डालु पिता छोगा जाति कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन –

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 06.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ढ़िकाणी पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 52 में अंकित आराजी स.748 रकबा 0.32 हैक्ट. 749 रकबा 0.01 हैक्ट. 750 रकबा 0.11 हैक्ट. 751 रकबा 0.23 हैक्ट. 753 रकबा 0.17 हैक्ट. 839 रकबा 0.23 हैक्ट. 841 रकबा 0.25 हैक्ट. 842 रकबा 0.02 हैक्ट 843 रकबा 0.35 हैक्ट. 844 रकबा 0.04 हैक्ट. 845 रकबा 0.15 हैक्ट. 846 रकबा 0.20 हैक्ट कुल किता 12 कुल रकबा 2.08 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में वपक्षी गण आये दिन दखलअंदाजी करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को अपने आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने मवेषी चराने व घास काटने में काफि कटिनाईयो का सामना करना पडता है जिससे प्रार्थीगण की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 30.06.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह

प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजियात के पड़ौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 31.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 एवं 5, 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी स0 2 एवं 4 के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है । विपक्षी संख्या 3 उपस्थित है जिन्होने पत्थारगढ़ी कराने में कोई आपत्ति जाहिर नही की है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम ढ़िकाणी पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 52 में अंकित आराजी स.748 रकबा 0.32 हैक्ट. 749 रकबा 0.01 हैक्ट. 750 रकबा 0.11 हैक्ट. 751 रकबा 0.23 हैक्ट. 753 रकबा 0.17 हैक्ट. 839 रकबा 0.23 हैक्ट. 841 रकबा 0.25 हैक्ट. 842 रकबा 0.02 हैक्ट 843 रकबा 0.35 हैक्ट. 844 रकबा 0.04 हैक्ट. 845 रकबा 0.15 हैक्ट. 846 रकबा 0.20 हैक्ट कुल किता 12 कुल रकबा 2.08 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा